

:: कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ::

— आदेश :—

वित्त विभाग के आदेश एफ 10(4) गुप-2/एफडी/76/ दिनांक 13.03.84 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.08.89, 02.05.98, 12.09.08 एवं एफ6(6)एफडी /रुल्स/2010 दिनांक: 25.04.2012 के अंतर्गत मेडीकल बोर्ड, राजकीय जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर की अभिशंषा के आधार पर श्री श्रवण लाल गोधा व्याख्याता (वाणिज्य), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माखुपुरा (अजमेर) को इनके आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त होने की तिथि 11.02.2016 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत जो अधिकतम रूपये 600/- (अखरे रूपये छः सौ मात्र) तक प्रतिमाह की दर से विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हे आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का, ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण /पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग भत्ता देय नहीं होगा।



(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान बीकानेर

कमोंक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/इतिहास/विकलांग भत्ता/07

दिनांक:- 23/6/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, अजमेर
- 2- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक), प्रथम, अजमेर
- 3- प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माखुपुरा (अजमेर)
- 4- श्री नरेन्द्र सिंह चौहान, व्याख्याता (वाणिज्य) राउमावि, माखुपुरा (अजमेर)
- 5- निजी एवं रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर